

**न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-368 / 2012

संस्थित दिनांक-26.04.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—रूपझर,  
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// **विरुद्ध** //

अजाबसिंह पिता धूपसिंह गोंड, उम्र-68 वर्ष,

निवासी—ग्राम हिरी, चौकी बिठली, थाना रूपझर,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक-24 / 03 / 2015 को घोषित)**

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 506 (भाग-2) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-12.04.2012 को समय शाम करीब 6:00 बजे थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम हिरी चौकी बिठली, तहसील बैहर, जिला बालाघाट अन्तर्गत लोक स्थान या उसके समीप फरियादी सम्मलसिंह को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर आहत सम्मलसिंह को सिर में डण्डा से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-12.04.2012 को समय शाम करीब 6:00 बजे थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम हिरी चौकी बिठली, तहसील बैहर, जिला बालाघाट अन्तर्गत फरियादी सम्मलसिंह अपने घर के सामने बैठा था, तभी उसके पड़ोस में रहने वाले आरोपी अजाबसिंह को उसने कहा कि गांव में नवराता की मीटिंग में क्यों नहीं आया, तो आरोपी अजाबसिंह उसे माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुए बोला कि गांव का कोई भी आदमी नहीं बोला तू मुझे क्यों बोलता है और इतना बोलते हुए आरोपी अजाब सिंह हाथ में डण्डा लिये हुए आया और उसे सिर में मारा, जिससे उसके सिर के बाईं तरफ से खून निकलने लगा। आरोपी ने उसे पीठ में भी डण्डे से मारा था। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा आरोपी के विरुद्ध थाना रूपझर में दर्ज करायी गई। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-39 / 2012 अंतर्गत धारा-294, 323, 506 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान फरियादी की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया, आरोपी से घटना में प्रयुक्त डण्डा जप्त किया गया

तथा साक्षियों के कथन लिये गये। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 506(भाग-2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

- 1— क्या आरोपी ने दिनांक-12.04.2012 को समय शाम करीब 6:00 बजे थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम हिरी चौकी बिठली, तहसील बैहर, जिला बालाघाट अन्तर्गत लोक स्थान या उसके समीप फरियादी सम्मलसिंह को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
- 2— क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत सम्मलसिंह को सिर में डण्डा से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?
- 3— क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

#### विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत सम्मलसिंह (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को जानता है, जो उसका पड़ोसी है। घटना आज से लगभग एक वर्ष से अधिक की शाम 4-5 बजे की उसके घर के सामने की है। उसने घटना दिनांक को आरोपी के यह कहा था कि तुम मिटिंग में क्यों नहीं आए थे, तो आरोपी ने 'तू बोलने वाला कौन होता है' कहकर लकड़ी से उसके सिर पर मार दिया था, जिससे उसके सिर से खून निकला था। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने बिठली चौकी में की थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। पुलिस ने उसके बताए अनुसार घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी के द्वारा उसे लकड़ी के डण्डे से मारपीट करने के संबंध में उसके द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है। यद्यपि इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा उसे कथित गाली-गलौज करना और जान से मारने की धमकी दिए जाने के कथन नहीं किये हैं।

6— साक्षी जयसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी तथा आहत को जानता है। घटना आज से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व की है। घटना

दिनांक को आरोपी मितिग में नहीं आया था। मितिग में क्यों नहीं आया बोलकर सम्मल सिंह पूछ रहा था, तो आरोपी ने लकड़ी के बेसे से सम्मल सिंह को मारा था, जिसे उसने और उसकी पत्नी ने बीच-बचाव किया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी के द्वारा उसे लकड़ी के डण्डे से मारपीट करने के संबंध में उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है। यद्यपि इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा फरियादी सम्मलसिंह कथित गाली-गलौज करना और जान से मारने की धमकी दिए जाने के कथन नहीं किये हैं।

7— अनुसंधानकर्ता अधिकारी संतरंजन साकरे (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-15.04.2014 को चौकी बिठली में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-39/12, धारा-294, 323, 506 भाग-2 भा.द.वि. प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-5 एवं शून्य पर दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 जो क्रमशः चित्रराज बागड़े एवं गोपाल परमार उपनिरीक्षक के द्वारा लेख है, जिन पर उनके हस्ताक्षर हैं। वह उनके हस्ताक्षर भली-भाँती पहचानता है, क्योंकि उनके साथ उसने लगभग एक वर्ष तक कार्य किया है। डायरी प्राप्त होने पर उसने विवेचना के दौरान सम्मलसिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही सम्मलसिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही सम्मलसिंह, साक्षी दुलमसिंह, जयसिंह के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। उक्त दिनांक को ही 17:30 बजे आरोपी अजाबसिंह से साक्षियों के समक्ष एक बांस का डंडा जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को उसी दिनांक को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 की कार्यवाही की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना पूर्ण कर प्रकरण की डायरी थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

8— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी नैनसिंह अ.सा.3 ने अपने मुख्यपरीक्षण में पुलिस के द्वारा आरोपी से एक लकड़ी जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 अनुसार जप्ती की कार्यवाही का समर्थन किया है, किन्तु आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 की कार्यवाही से इंकार किया है।

9— अभियोजन की ओर से फरियादी व अन्य साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा घटना के समय अश्लील शब्दों का उच्चारण किये जाने तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने का तथ्य पेश नहीं किया है। अतएव साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने घटना के समय फरियादी सम्मलसिंह को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया तथा जान से

मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया।

10— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत फरियादी सम्मलसिंह (अ.सा.1) की साक्ष्य में इस तथ्य का खंडन नहीं हुआ है कि आरोपी ने उसके सिर पर लकड़ी से मार दिया था, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा था। उक्त तथ्य का समर्थन घटना के अन्य चक्षुदर्शी साक्षी जयसिंह (अ.सा.2) ने भी अपनी साक्ष्य में किया है। इस प्रकार फरियादी/आहत सम्मलसिंह को घटना के समय आरोपी के द्वारा लकड़ी के डण्डे से मारपीट किया गया है। इस तथ्य का खंडन न होने से साक्षीगण के कथन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। बचाव पक्ष की ओर से घटना के समय आरोपी के द्वारा उक्त मारपीट किये जाने में प्रयुक्त साधन लकड़ी एवं डण्डे के संबंध में विरोधाभास होने का तर्क दिया गया है, जबकि लकड़ी एवं डण्डे को साधारण रूप से बोलचाल में एक ही अर्थ में लिया जाता है। इस कारण बचाव पक्ष का तर्क आधारहीन होना प्रकट होता है।

11— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण तथ्य व परिस्थिति से प्रकट होता है कि आरोपी के द्वारा घटना के समय आहत सम्मलसिंह को प्रहार करते समय उसके पास प्रयुक्त साधन से आहत को चोट पहुंचाने का आशय विद्यमान था तथा वह इस संभावना को जानता था कि उक्त साधन से निश्चित रूप से आहत को उपहति कारित होगी। इस प्रकार आरोपी के द्वारा किया गया कृत्य स्वेच्छया उपहति की श्रेणी में आता है।

12— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने घटना के समय फरियादी सम्मलसिंह को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया। अभियोजन ने यह युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है कि आरोपी ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत सम्मलसिंह को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 (भाग-दो) के अन्तर्गत दोषमुक्त कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

13— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया गया।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट



पश्चात्—

14— आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उसके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उसके द्वारा मामले में वर्ष 2012 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

15— मामले में आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। आरोपी वयोवृद्ध व्यक्ति है तथा वह मामले में वर्ष 2012 से लगातार विचारण का सामना कर रहा है। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323 के अपराध के अंतर्गत 1000/- (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

16— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

17— प्रकरण में जप्तशुदा लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट